राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामदेव बनाम किशन (बालकिशन)

तारीख हुक्म	184/2026 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारा ध्यान अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2017 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 1087/1887 के सन्दर्भ में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है परन्तु अन्तरिम आदेश दिनांक 28/09/2016 में उक्त खसरा नम्बर 1083/1887 के साथ ही अन्य खसरा नम्बर 1073/2, 1074/2, 1079 के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश पारित किया गया था की वजह से अन्य खसरा नम्बर 1073/2, 1074/2, 1079 की हद तक प्रभावहीन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। इस सन्दर्भ में पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ/आदेश अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2017 केवल मात्र खसरा नम्बर 1087/1887 के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने हेतु है एवं विचाराधीन प्रकरण में भी प्रश्नाधीन खसरा नम्बर 1087/1887 ही है। अत: ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/06/2017 को खसरा नम्बर 1073/2, 1074/2, 1079 की हद तक निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थी न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाकर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	